फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

प्रार्थी–सरकार जरिये तहसीलदार — अप्रार्थी-- लादू व अन्य

केस संख्या : 584/2016

वाद पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी.ए. व धारा 151 जाप्ता दीवानी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.6.2017	:–निर्णय–: आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध बावजूद प्रॉपर तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। पैरोकार राज. की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज0 ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 2510 रकबा 9 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2517 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नंबर 2511/3166 रकबा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा खातेदारी भूमि में मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान बने हुये है। खसरा गिरदावरी में कॉलम संख्या 16 में गैरमुमकिन कब्रिस्तान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत् राजहित में सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है ताकि राजहित प्रभावित नहीं हो। इस कारण न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी को धारा 177 आर.टी.ए. के तहत राजहित में सिवायचक (सरकारी भूमि) घोषित किया जाकर कब्रिस्तान दर्ज कर प्रतिवादीगण के नाम हजफ फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट, शपथ पत्र जमील, यमीन, अब्दुल रशीद, बशीर मोहम्मद, युसुफ निवासीयान: ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 2510 रकबा 9 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2517 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2511/3166 रकबा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा खातेदारी भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान बने हुये है। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 2510 रकबा 9 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2517 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2511/3166 रकबा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक घोषित कर गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29/06/2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में सुनाया गया। (सा[illegible]) उपखण्ड अधिकारी फागी उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

लादू व अन्य

वाद पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी.ए. व धारा 151 जाप्ता दीवानी

मुकदमा नं0 – 584/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 2510 रकबा 9 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2517 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2511/3166 रकबा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक घोषित कर गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज...—...मुबलिग...—...बाबत...—...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...—...फीसदी...—...सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...—...का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.06.2017 को जारी की गई।

दस्तखत................ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................. फागी (जयपुर)

मुहर (उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
[illegible]ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	— Nil —	
फीस कमीश्नर	— Nil —		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी